दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 1152/2026
(छ.ग. राज्य वि. मनोज गायकवाड़)
CNR No.–CGBB020018592026

न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) पीठासीन अधिकारी– (गिरीश पाल सिंह)	
(निर्णय दिनांक– 01.05.2026) (दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 1152/2026) आरक्षी केन्द्र– सिटी कोतवाली बलौदाबाजार (अपराध क्रमांक– 279/2026) धारा– 296, 115(2), 351(2)भारतीय नागरिक संहिता संस्थित तिथि–01.05.2026	
अभियोजन	छ.ग. राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्रीमती सरिता शर्मा, लोक अभियोजन अधिकारी ।
विरुद्ध	
आरोपी	मनोज गायकवाड़ पिता स्व. आजूराम गायकवाड़, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम– लवनबंन, थाना सिटी कोतवाली , जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.
प्रतिनिधित्वकर्ता	अभियुक्त की ओर से श्री सुर्य प्रकाश पुरैना अधिवक्ता।

घटना का दिनांक –	31.03.2026
प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक–	02.04.2026
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक–	01.05.2026
आरोप विरचित दिनांक–	01.05.2026
साक्ष्य प्रारम्भ दिनांक–	01.05.2026
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने का दिनांक–	01.05.2026
निर्णय दिनांक–	01.05.2026
दंडादेश दिनांक–	–

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 1152/2026
(छ.ग. राज्य वि. मनोज गायकवाड़)
CNR No.–CGBB020018592026

अभियुक्त का विवरण							
अभि. का क्र.	अभि. का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किए जाने की दिनांक	आरोपित धाराएँ	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	दंडादेश	अभिरक्षा अवधि धारा–468 भा.ना.सु.सं.
01.	मनोज गायकवाड़	15.04.25	15.04.25	धारा– 296 भा.न्या.सं.	दोषमुक्त	–	निरंक

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3	आरोप	03
4	स्वीकृत तथ्य	03
5	अभियोजन कहानी	03–04
6	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	06–07
7	दंडादेश	–––
8	अभिरक्षा अवधि एवं मुजरा(दंडादेश में समायोजन)	07
9	सम्पति का निराकरण	08
10	क्षतिपूर्ति आदेश	–––
11	धारा– 468 भा. ना. सु.सं. का प्रमाण पत्र	08
12	सजा वारण्ट (कारावास या जुर्माना)	–––
13	निर्णय की प्रति	–––

// निर्णय //

(आज दिनांक– 01.05.2026 को घोषित किया गया)

आरोप

01. अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 296 भारतीय न्याय संहिता के तहत यह अभियोग है कि उसने दिनांक 31.03.2026 को समय 12.00 बजे, स्थान प्रार्थी के घर के पास लवनबन अंर्तगत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग. में जो लोक स्थान या उसके समीप है प्रार्थी संतोष गायकवाड़ को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौच शब्द उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

स्वीकृत तथ्य

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के लंबनकाल में प्रार्थी/आहत एवं अभियुक्त की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 359(1) एवं धारा 359(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करने पर राजीनामा आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपी को धारा 351(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया गया है ।

अभियोजन का प्रकरण

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2026 को प्रातः 11–12 बजे करीबन प्रार्थी संतोष गायकवाड़ अपने छोटे भाई मनोज को जमीन

का बंटवारा करने की बात कहा तो उसके द्वारा आक्रोशित होते हुए उसे जमीन में एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा कहकर अश्लील गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर उसे घसिट कर जमीन में गिरा दिये और जमीन की बात करने पर जान से मार देने की धमकी दे रहा था। मारपीट से उसे पीठ एवं शरीर में चोटे आई है दर्द हो रहा है। दिनांक 02–04–2026 को जब प्रार्थी बाहर गांव से आया और घर पहुंचा तो उसका छोटा भाई मनोज गायकवाड के द्वारा पुनः उसे घर से बाहर निकाल दिया। घटना को आशाराम ब्रम्हे एवं गांव के अन्य लोग देखे सुने है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है प्रकरण में प्रार्थी का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है साधारण चोंट होना लेख है, घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया है । प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये । आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय प्रकृति का होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । प्रकरण का विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

04. अभियुक्त के विरूद्ध **धारा–296 भारतीय दण्ड संहिता** का पृथक से आरोप विरचित किये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

05. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षियों के कथन लिपिबद्ध कराए गए हैं –

साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	संतोष गायकवाड़	प्रार्थी

06. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित कराया गया है –

क्र.	प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श पी.–01	प्रथम सूचना पत्र
2	प्रदर्श पी.–02	नजरी नक्शा
3	प्रदर्श पी.–03	साक्षी संतोष गायकवाड़ का पुलिस बयान

07. आरोपी की ओर से अपने बचाव के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

08. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः–

क्या आरोपी ने दिनांक 31.03.2026 को समय 12.00 बजे, स्थान प्रार्थी के घर के पास लवनबन अंर्तगत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग. में जो लोक स्थान या उसके समीप है प्रार्थी संतोष गायकवाड़ को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौच शब्द उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष

09. भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के अनुसार– जो कोई किसी लोकस्थान में कोई अश्लील कार्य करता है, या किसी लोकस्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा, या उच्चारित करता है, जिससे दुसरों को क्षोभ करित होता है । वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्मानें से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दाण्डित किया जाएगा । उक्त अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रार्थी /आहत **संतोष गायकवाड़ (अ.सा. 01)** का परीक्षण कराया गया है जिसने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह आरोपी मनोज गायकवाड़ को अपने भाई होने से जानता पहचानता है । घटना दिनांक 31.03.2026 को आरोपी के साथ जमीन की बात को लेकर वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में उसने थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में आरोपी के खिलाफ **प्र.पी. 01** के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी. 02** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी घटना दिनांक 31.03.2026 को आरोपी के द्वारा वाद–विवाद करते हुए मां–बहन की अश्लील गाली गलौच देने से इंकार किया गया है ।

10. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के प्रार्थी संतोष गायकवाड़ ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है । अभिलेख में

आरोपी के द्वारा प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच कर क्षोभ कारित किए जाने का साक्ष्य अभिलेख में मौजूद नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सन्देह कभी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता तथा सन्देह का लाभ आरोपी प्राप्त करने का पात्र होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार **विचारणीय प्रश्न अभियोजन के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।**

11. परिणाम स्वरूप अभियोजन आरोपी के विरूद्ध हर संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 31.03.2026 को समय 12.00 बजे, स्थान प्रार्थी के घर के पास लवनबन अंर्तगत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग. में जो लोक स्थान या उसके समीप है प्रार्थी संतोष गायकवाड़ को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौच शब्द उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। **फलतः आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

12. अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त कर स्वतंत्र किए जाते हैं किन्तु अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा 481 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से आगामी छः माह के अवधि तक माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु स्वीकार किया जाता है।

अभिरक्षा अवधि एवं दण्डादेश में समायोजन

13. आरोपी को आरोपित अपराध में दोषमुक्त कर रिहा किया गया है। आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है ।

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 1152/2026
(छ.ग. राज्य वि. मनोज गायकवाड़)
CNR No.–CGBB020018592026

संपत्ति का निराकरण

15. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

धारा– 468 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रमाण पत्र

16. प्रकरण में धारा–468 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार की गयी है जो निर्णय के अंतिम पृष्ठ में संलग्न है ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही/-
(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार छ०ग०

मेरे निर्देश पर लिखा गया ।

सही/-
(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार छ०ग०

प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा– 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता					
क्रं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी दिनांक**	**पुलिस अभिरक्षा की अवधि**	**न्यायिक अभिरक्षा की अवधि**	**सजा का प्रकार**
01.	मनोज गायकवाड़	15.04.25	निरंक	निरंक	दोषमुक्त

दिनांकः– 01.05.2026

GIRISH PAL SINGH
Digitally signed by GIRISH PAL SINGH
Date: 2026.05.01 04:39:53 +0530

सही/-
(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार छ०ग०